हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1) 1/2019– 55140-145 शिमला–171009 दिनांक 26.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, बिलासपूर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर जिला बिलासपूर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धार (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपूर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव/आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला बिलासपूर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपूर, को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला बिलासपूर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त, जिला बिलासपूर की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क0 सं0	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम।	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हाने वाले ग्रामों के नाम।	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या–5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम।	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**विकास खण्ड का नामः– श्री नैना देवी जी**						
1.	रौडजामन	1. जन्डौरी	1. घटटेवाल	बस्सी	1. रन्नी	1. जन्डौरी	
		2. रौडजामन			2. गुरू का लाहौर	2. रौडजामन	
		3. घटटेवाल			3. जंगल महदूदा	3. बरोटा डडवाला	
		4. बरोटा डडवाला				4. डैहणी	
		5. डैहणी				5. चंगर तरसूह	
		6. चंगर तरसूह					

2.	विकास खण्ड का नामः–घुमारवी						
2.	घण्डालवीं	1. समलाह	1. बलोटा	तडौन	1. तडौन	1. समलाह	
		2. बपयाड़			2. बलोटा	2. बपयाड़	
		3. बाड़ीचौक				3. बाड़ीचौक	
		4. कामली				4. कामली	
		5. कोठी				5. कोठी	
		6. घण्डालवीं				6. घण्डालवीं	
		7. बलोटा				7. डूगाण	
		8. डूगाण				8. भदरवाण	
		9. भदरवाण					

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)1/2019–55140-145 शिमला–171009 दिनांक 26.8.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त, जिला बिलासपूर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश आप्पतियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपूर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपूर हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला बिलासपूर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव (प0राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।